Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

सेशन केस संख्या-26/2017, राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रमोहन

अपराध अंतर्गत धारा-307, 324/34 भा.दं.सं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दिनांकः-08.04.2026 अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त बरजमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में अभियोजन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मजरूबा रामश्री के पूर्व ईलाज संबंधी दस्तावेजात किस दिनांक के ईलाज संबंधी दस्तावेजात हैं, कितने दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाना चाहा है ऐसा कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। मूल दस्तावेजात पेश क्यों नहीं किये जा सके या पूर्व में पेश क्यों नहीं किये गये ऐसा भी कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। गवाह सं..11 विना जरिये B/W 5000 तलब होकर दिनांक 20/4/26 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमंडी जिला कोटा	